

## Mandatory Disclosure List

S.No	Documents
1	Land Certificate
2	Building Plan
3	School Built Up Area Details
4	NBC Certificate
5	Structural Design Sufficiency Certificate
6	Recognition Certificate
7	NOC by State
8	Extension of Affiliation
9	Fire Certificate

**CERTIFICATE OF LAND**

Certified that land measuring **6169.50 Sqm** situated in Bahadurpur Gulam Mahiuddinpur, Tah. - Hasanpur, Distt. J.P. Nagar, (U.P.), at Hasanpur-Gajraula Road, Distt. JP Nagar, (U.P.), fully described in the schedule mentioned herein after is owned by "**Rajendra Academy**", Hasanpur Road, Gajraula, JP Nagar (U.P.), authozized Signatory Mr. Rajendra Singh s/o Sr. Har Vansh Singh, Railway Station Road, Gajraula, Tah. Dhanaura, Distt. J.P. Nagar, (U.P.), in terms of Lease deed dated 16/08/10, duly registered 16/08/10 at **Serial No. 4427** in **Book No. 8664, Volume No. 383 to 398**, in office of **Sub Registerar Office, Hasanpur, J.P. Nagar (U.P.)**. It is certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land measuring **6169.50 Sqm** situated in Bahadurpur Gulam Mahiuddinpur, Post - Hasanpur, Distt. J.P. Nagar, (U.P.), at Hasanpur-Gajraula Road, Post - Hasanpur, Distt. JP Nagar, (U.P.), has said land to "**Rajendra Academy**", Hasanpur Road, Gajraula, JP Nagar (U.P.), authozized Signatory Mr. Rajendra Singh s/o Sr. Har Vansh Singh, Railway Station Road, Gajraula, Tah. Dhanaura, Distt. J.P. Nagar, (U.P.), vide Lease deed dated 16/08/10, duly registered 16/08/10 at **Serial No. 4427** in **Book No. 8664, Volume No. 383 to 398**, in office of **Sub Registerar Office, Hasanpur, J.P. Nagar (U.P.)**. and the land is still in possession of the lessee.


It is further certified that "**Rajendra Academy, Hasanpur Road, Gajraula, J.P. Nagar, (U.P.)**" is located on the said single plot of the land.


**THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO**

All that piece and parcel of Land Measureing **6169.50 Sqm** (Lease Deed) at Hasanpur-Gajraula Road, Post - Hasanpur, Distt. J.P. Nagar, (U.P.), is in total **6169.50 Sqm**, situated in Hasanpur-Gajraula Road, Post - Hasanpur, Distt. J.P. Nagar, (U.P.), and bounded as follows :

North : First Party  
East : First Party  
West : Road Hasanpur Gajraula Road  
South : Sharma's Krasher

**DISTRICT MAGISTRATE / REGISTERING AUTHORITY**





**SITE PLAN**  
(SCALE- 1:500)

**GROUND FLOOR PLAN**

**FIRST FLOOR PLAN**

EXISTING BUILDING MAP PLAN FOR :  
 RAJENDRA ACADEMY, SENIOR SECONDARY SCHOOL, SITUATED AT:-  
 STATE HIGHWAY-51, SHAHU JAGEER, HASANPUR- GAJRAULA ROAD  
 TEHSIL- HASANPUR, DISTT - AMROHA, UTTAR PRADESH

**AREA CHART Primary Block**

Sl. No.	Room Name	Area (sq. m)
1	Class Room	12.50
2	Class Room	12.50
3	Class Room	12.50
4	Class Room	12.50
5	Class Room	12.50
6	Class Room	12.50
7	Class Room	12.50
8	Class Room	12.50
9	Class Room	12.50
10	Class Room	12.50
11	Class Room	12.50
12	Class Room	12.50
13	Class Room	12.50
14	Class Room	12.50
15	Class Room	12.50
16	Class Room	12.50
17	Class Room	12.50
18	Class Room	12.50
19	Class Room	12.50
20	Class Room	12.50
21	Class Room	12.50
22	Class Room	12.50
23	Class Room	12.50
24	Class Room	12.50
25	Class Room	12.50
26	Class Room	12.50
27	Class Room	12.50
28	Class Room	12.50
29	Class Room	12.50
30	Class Room	12.50
31	Class Room	12.50
32	Class Room	12.50
33	Class Room	12.50
34	Class Room	12.50
35	Class Room	12.50
36	Class Room	12.50
37	Class Room	12.50
38	Class Room	12.50
39	Class Room	12.50
40	Class Room	12.50
41	Class Room	12.50
42	Class Room	12.50
43	Class Room	12.50
44	Class Room	12.50
45	Class Room	12.50
46	Class Room	12.50
47	Class Room	12.50
48	Class Room	12.50
49	Class Room	12.50
50	Class Room	12.50
51	Class Room	12.50
52	Class Room	12.50
53	Class Room	12.50
54	Class Room	12.50
55	Class Room	12.50
56	Class Room	12.50
57	Class Room	12.50
58	Class Room	12.50
59	Class Room	12.50
60	Class Room	12.50
61	Class Room	12.50
62	Class Room	12.50
63	Class Room	12.50
64	Class Room	12.50
65	Class Room	12.50
66	Class Room	12.50
67	Class Room	12.50
68	Class Room	12.50
69	Class Room	12.50
70	Class Room	12.50
71	Class Room	12.50
72	Class Room	12.50
73	Class Room	12.50
74	Class Room	12.50
75	Class Room	12.50
76	Class Room	12.50
77	Class Room	12.50
78	Class Room	12.50
79	Class Room	12.50
80	Class Room	12.50
81	Class Room	12.50
82	Class Room	12.50
83	Class Room	12.50
84	Class Room	12.50
85	Class Room	12.50
86	Class Room	12.50
87	Class Room	12.50
88	Class Room	12.50
89	Class Room	12.50
90	Class Room	12.50
91	Class Room	12.50
92	Class Room	12.50
93	Class Room	12.50
94	Class Room	12.50
95	Class Room	12.50
96	Class Room	12.50
97	Class Room	12.50
98	Class Room	12.50
99	Class Room	12.50
100	Class Room	12.50
101	Class Room	12.50
102	Class Room	12.50
103	Class Room	12.50
104	Class Room	12.50
105	Class Room	12.50
106	Class Room	12.50
107	Class Room	12.50
108	Class Room	12.50
109	Class Room	12.50
110	Class Room	12.50
111	Class Room	12.50
112	Class Room	12.50
113	Class Room	12.50
114	Class Room	12.50
115	Class Room	12.50
116	Class Room	12.50
117	Class Room	12.50
118	Class Room	12.50
119	Class Room	12.50
120	Class Room	12.50
121	Class Room	12.50
122	Class Room	12.50
123	Class Room	12.50
124	Class Room	12.50
125	Class Room	12.50
126	Class Room	12.50
127	Class Room	12.50
128	Class Room	12.50
129	Class Room	12.50
130	Class Room	12.50
131	Class Room	12.50
132	Class Room	12.50
133	Class Room	12.50
134	Class Room	12.50
135	Class Room	12.50
136	Class Room	12.50
137	Class Room	12.50
138	Class Room	12.50
139	Class Room	12.50
140	Class Room	12.50
141	Class Room	12.50
142	Class Room	12.50
143	Class Room	12.50
144	Class Room	12.50
145	Class Room	12.50
146	Class Room	12.50
147	Class Room	12.50
148	Class Room	12.50
149	Class Room	12.50
150	Class Room	12.50
151	Class Room	12.50
152	Class Room	12.50
153	Class Room	12.50
154	Class Room	12.50
155	Class Room	12.50
156	Class Room	12.50
157	Class Room	12.50
158	Class Room	12.50
159	Class Room	12.50
160	Class Room	12.50
161	Class Room	12.50
162	Class Room	12.50
163	Class Room	12.50
164	Class Room	12.50
165	Class Room	12.50
166	Class Room	12.50
167	Class Room	12.50
168	Class Room	12.50
169	Class Room	12.50
170	Class Room	12.50
171	Class Room	12.50
172	Class Room	12.50
173	Class Room	12.50
174	Class Room	12.50
175	Class Room	12.50
176	Class Room	12.50
177	Class Room	12.50
178	Class Room	12.50
179	Class Room	12.50
180	Class Room	12.50
181	Class Room	12.50
182	Class Room	12.50
183	Class Room	12.50
184	Class Room	12.50
185	Class Room	12.50
186	Class Room	12.50
187	Class Room	12.50
188	Class Room	12.50
189	Class Room	12.50
190	Class Room	12.50
191	Class Room	12.50
192	Class Room	12.50
193	Class Room	12.50
194	Class Room	12.50
195	Class Room	12.50
196	Class Room	12.50
197	Class Room	12.50
198	Class Room	12.50
199	Class Room	12.50
200	Class Room	12.50

**FOR OFFICE USE:-**

Block No.	Room Name	Area (sq. m)
Block 1	Class Room	12.50
Block 2	Class Room	12.50
Block 3	Class Room	12.50
Block 4	Class Room	12.50
Block 5	Class Room	12.50
Block 6	Class Room	12.50
Block 7	Class Room	12.50
Block 8	Class Room	12.50
Block 9	Class Room	12.50
Block 10	Class Room	12.50
Block 11	Class Room	12.50
Block 12	Class Room	12.50
Block 13	Class Room	12.50
Block 14	Class Room	12.50
Block 15	Class Room	12.50
Block 16	Class Room	12.50
Block 17	Class Room	12.50
Block 18	Class Room	12.50
Block 19	Class Room	12.50
Block 20	Class Room	12.50
Block 21	Class Room	12.50
Block 22	Class Room	12.50
Block 23	Class Room	12.50
Block 24	Class Room	12.50
Block 25	Class Room	12.50
Block 26	Class Room	12.50
Block 27	Class Room	12.50
Block 28	Class Room	12.50
Block 29	Class Room	12.50
Block 30	Class Room	12.50
Block 31	Class Room	12.50
Block 32	Class Room	12.50
Block 33	Class Room	12.50
Block 34	Class Room	12.50
Block 35	Class Room	12.50
Block 36	Class Room	12.50
Block 37	Class Room	12.50
Block 38	Class Room	12.50
Block 39	Class Room	12.50
Block 40	Class Room	12.50
Block 41	Class Room	12.50
Block 42	Class Room	12.50
Block 43	Class Room	12.50
Block 44	Class Room	12.50
Block 45	Class Room	12.50
Block 46	Class Room	12.50
Block 47	Class Room	12.50
Block 48	Class Room	12.50
Block 49	Class Room	12.50
Block 50	Class Room	12.50
Block 51	Class Room	12.50
Block 52	Class Room	12.50
Block 53	Class Room	12.50
Block 54	Class Room	12.50
Block 55	Class Room	12.50
Block 56	Class Room	12.50
Block 57	Class Room	12.50
Block 58	Class Room	12.50
Block 59	Class Room	12.50
Block 60	Class Room	12.50
Block 61	Class Room	12.50
Block 62	Class Room	12.50
Block 63	Class Room	12.50
Block 64	Class Room	12.50
Block 65	Class Room	12.50
Block 66	Class Room	12.50
Block 67	Class Room	12.50
Block 68	Class Room	12.50
Block 69	Class Room	12.50
Block 70	Class Room	12.50
Block 71	Class Room	12.50
Block 72	Class Room	12.50
Block 73	Class Room	12.50
Block 74	Class Room	12.50
Block 75	Class Room	12.50
Block 76	Class Room	12.50
Block 77	Class Room	12.50
Block 78	Class Room	12.50
Block 79	Class Room	12.50
Block 80	Class Room	12.50
Block 81	Class Room	12.50
Block 82	Class Room	12.50
Block 83	Class Room	12.50
Block 84	Class Room	12.50
Block 85	Class Room	12.50
Block 86	Class Room	12.50
Block 87	Class Room	12.50
Block 88	Class Room	12.50
Block 89	Class Room	12.50
Block 90	Class Room	12.50
Block 91	Class Room	12.50
Block 92	Class Room	12.50
Block 93	Class Room	12.50
Block 94	Class Room	12.50
Block 95	Class Room	12.50
Block 96	Class Room	12.50
Block 97	Class Room	12.50
Block 98	Class Room	12.50
Block 99	Class Room	12.50
Block 100	Class Room	12.50

**RAJENDRA ACADEMY SENIOR SECONDARY SCHOOL**

ARCHITECTED DESIGN: AR. GAURAV AGARWAL  
 ARCHITECT: AR. GAURAV AGARWAL  
 ARCHITECTURE: ARCHITECTURE

DATE: 28/06/2024

SCALE: 1:200

SUBMISSION DRAWING



This is to certify that the drawing  
 1. is prepared as per the G.O. Laws  
 2. the fee is correct and clear


AR. GAURAV AGARWAL  
 ARCHITECT



## School Building Details

<b>Area Chart</b>	<b>Area (SQMT)</b>
Total Land Area	9754.00
Total Land Area for School	6171.00
Future Expansion Area	2721.50
RWH + Botanical garden Area	861.50
Built-up Area Ground Floor	1330.55
Built- up Area First Floor	1303.80
Total Built-up Area	2634.35
Total Playground Area	4042.00
Green Open Area	1116.20





# ARCHUNITED DESIGNS

ARCHITECT . PRODUCT DESIGNER  
LANDSCAPER . VALUER . INTERIOR

Ref: AUD/2020-21/RJA-01/A

Date: 11/01/2021

## STRUCTURAL DESIGN SUFFICIENCY CERTIFICATE

With respect to the building work of erection, re-erection or for making alteration in the school building Rajendra Academy, Senior Secondary School, situated at Village- Sihali Jageer, Hasanpur- Gajraula Road, Tehsil- Hasanpur, Distt. - Amroha, 244241; we certify that the structural plans and details of the building submitted for approval satisfy the structural safety requirements for all situations including natural disaster, as applicable, as stipulated under Part 6 Structural Design of the National Building Code of India and other relevant codes; and the information given therein is factually correct to the best of our knowledge and understanding.

According to NBC the life span of an Institutional building is expected to be 50 years, if it is built as per structural design codes and is maintained & retrofitted at regular time period. However as per NBC structural design codes the structure of the building must be tested after the specified time period or after major earthquake/ natural disaster, whichever comes first, for checking the safety of the structural elements of the building.



12/1/2021  
Signature of the owner (with date)

Name: Maninder Kaur

Address: Station Road  
Gajraula (Amroha)



Signature of Registered Engineer/  
Structural Engineer (with date &  
Registration No.)

Name: Rahul Singh

Place: Moradabad



Opposite Bharat Gas Agency,  
Hasanpur Road, Gajraula, 244235



+ (91) 9711065050,  
+ (91) 9897345010



+ (91) 9557044015  
archuniteddesigns@gmail.com

प्रेषक:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-अमरोहा।

सेवा में,

प्रबन्धक

राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला  
जनपद अमरोहा

पत्रांक -बे0(2)/21555-59 /2020-21 दिनांक 25.3.2021

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 21.12.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश संख्या 89/अरसट-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसट-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 में उल्लिखित प्राविधानानुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला, जनपद अमरोहा (विद्यालय का नाम पते सहित) को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
  - I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - II. किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
  - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
  - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है; और
  - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6199.50 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	3403 वर्ग मी0
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	2796.50 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या	5
प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष	3
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है।

शेष पृष्ठ 2 पर

पेयजल सुविधा  
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई  
बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
  10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
  11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
  13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
  14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **UPSE-175** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
  15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित और सुनिश्चित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर लें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
  16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
  17. विद्यालय में अंको के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।
  18. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
  19. विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णांतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  20. विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
  21. विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  22. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्रशेखर)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-अमरोहा

पत्रांक - वे0(2)/ /2020-21 दिनांक  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/ पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-अमरोहा

प्रेषक:-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-अमरोहा।

सेवा में,

प्रबन्धक

राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला

जनपद अमरोहा

पत्रांक -वे0(2)/ 21522-25 /2020-21 दिनांक 25.03.2021  
विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता का प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 18.12.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/ अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 में उल्लिखित प्राविधानानुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार, मैं राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड गजरौला, विकास खण्ड गजरौला, जनपद अमरोहा (विद्यालय का नाम पते सहित) को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक में खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सवृत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
  - I. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - II. किसी भी बालक को शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधधीन नहीं किया जाएगा।
  - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
  - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
  - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है; और
  - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6199.50 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	3403 वर्ग मी0
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	2796.50 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या	6
प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष	3
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है।

शेष पृष्ठ 2 पर

Au

B

पेयजल सुविधा  
गिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई  
बाधारहित पहुंच

- अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुरतकालय की उपलब्धता।
- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
  - विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
  - विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  - स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या रांगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
  - विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
  - आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक UPSE-170 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
  - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है और समय समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित और सुनिश्चित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित कर लें या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायेंगे।
  - सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
  - विद्यालय में अंको के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी।
  - विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
  - विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाये, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
  - विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  - संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(चन्द्रशेखर)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-अमरोहा

पत्रांक - वे0(2)/ /2020-21 दिनांक  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- गण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश गण्डल गुरादाबाद।
- सामाजिक कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
जनपद-अमरोहा

प्रेषक,

आयुक्त,  
मुरादाबाद मण्डल,  
मुरादाबाद ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार,  
नई दिल्ली ।

संख्या 755 /27- 59 (2008-09) जे0ए0  
विषय :- राजेन्द्रा एकेडमी हसनपुर रोड, गजरौला, जनपद जे0पी0 नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

दिनांक : फरवरी 10, 2010

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्रोविजनल सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

( मनोज कुमार सिंह )  
आयुक्त ।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उ0प्र0शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
- 2- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 3- जिलाधिकारी, जे0पी0 नगर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ ।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, जे0पी0 नगर ।
- 7- प्रबंधक, राजेन्द्रा एकेडमी, हसनपुर रोड, गजरौला, जनपद जे0पी0 नगर ।

( मनोज कुमार सिंह ) 9.2.10  
आयुक्त ।



Part-A	Self-Cert.	Upload Docs	Basic Detail	Upload Photo	Faculty	Student
Academic	Infrastructure	Vital Info	CSMC	Website	Quality Parameters	Part C
						Fee payment

To monitor your progress at any stage, visit the Progress P.

List of Applications  
(/SARAS/ApplicationList/Details)

Updation of OASIS  
(<https://www.cbse.gov.in/newsite/mandatory.html>)

Part A

Part B -Auto Import from OASIS

Academic Quality Parameters

Part C -Auto Import from OASIS

Final Submit

Payment

School Report Card

Progress Panel

Account

### Letter Details

NO : CBSE/2131226/EX-03011-2223/2022-23/

Dated: 08/07/2021

The Manager,

RAJENDRA ACADEMY TEHSIL - HASANPUR J P NAGAR UP  
RAJENDRA ACADEMY,TEHSIL-HASANPUR,GAJRAULA ROAD  
UTTAR PRADESH,JYOTIBA PHULE NAGAR, 244235  
(M: 91-9837463544)

**SUBJECT: - Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level.**

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	2131226
School No	81272
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy thereof for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school. "The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF)

#### ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28

Class-X on  
19 32

Index - BAFIAS

D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	Up to Class-XII The number of sections shall be restricted in accordance with 'I' above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.				
The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.				
For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet				

**Important Notes :-**  
School is required to appoint special educator as per affiliation bye laws.

PRINT

**MEDIA**

- Facebook  
(<https://www.facebook.com/cbseIndia29>)
- Twitter  
(<https://twitter.com/cbseIndia29>)
- Instagram  
([https://www.instagram.com/cbse\\_hq\\_1979](https://www.instagram.com/cbse_hq_1979))
- Youtube  
([https://www.youtube.com/channel/UCAre7caIM9EvmD-mcSy6VyA7view\\_bs=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCAre7caIM9EvmD-mcSy6VyA7view_bs=subscriber))

**CONTACT**

Address: Shiksha Kendra-2  
Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092  
Tel: 011-22467774, 22528257, 22527183, 22436196  
cbse.aff[at]nic[dot]in (mailto:cbse.aff[at]nic[dot]in)  
cbse[at]affiliationunit2021[at]gmail[dot]com  
(mailto:Affiliationunit2021[at]gmail[dot]com)

**TIME & UPDATE**

07:32:50 PM  
Last Updated on 17 MARCH 2021 - 5:00 PM

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/86450/AMR/AMROHA/715/CFO

दिनांक : 18-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** पता **6 KM STONE,HASANPUR ROAD GAJRAULA,HASANPUR** तहसील - **HASANPUR** प्लॉट एरिया **8085.20 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2695.57** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAJENDRA ACADEMY	2	0	7.62 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANINDER KAUR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-06-2023** से **20-06-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

- Note :** 1. अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या तथा शासनादेश संख्या 187/छ:-पु0-08-2022/905(34) 2016 दिनांक 07.01.2022 में निहित शर्तों के अनुसार निर्गत  
2. प्रश्रगत भवन के स्थायित्व व विद्युत सुरक्षा हेतु सम्बंधित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना वांछनीय है।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**ANIL KUMAR SINGH**

FD0D237394D8AC9C11B0AC3847DA0B6EAAC2D64A

21-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **21-06-2023**  
स्थान : **AMROHA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.